



ऑन लाईन नं. RCMS 2020/00030

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी आर0ए0एस0

विविध प्रकरण सं0 03 / 2020

1. सरपंच ग्राम पंचायत 2 एम.एल. नाथावाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर जरिये सरपंच संदीपनाथ।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. कृष्णलाल पुत्र बनवारी लाल जाति स्वामी निवासी 4 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज0 पंचायतीराज अधिनियम विरुद्ध पट्टा संख्या 2446/17.08.1989 जो कि तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा गांव 4 ई छोटी के जोहड पायतन की जगह का पट्टा गैरनिगरानीकर्ता ने पद का दुरुपयोग करवाकर जारी करवाया गया बमुराद मनसूखियां।

उपरिस्थित :-

2. श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता निगरानीकर्ता
3. श्री रामगोपाल स्वामी अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता

:: आदेश ::

दिनांक: 23.10.2020

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि पट्टा संख्या 2446 दिनांक 17.08.1989 गलत, खिलाफ कानून, खिलाफ वाक्यात होने से निरस्तनीय है। पट्टे के अनुसूचित जाति व जनजाति व श्रमिक तथा कारीगरों को आबादी में निःशुल्क आवासीय आवंटन भूखण्ड के रूप में जारी किये गये हैं जबकि गैर निगरानीकर्ता किसी प्रकार से अनुसूचित जाति जनजाति व श्रमिक तथा कारीगर की परिभाषा में नहीं आता है। निःशुल्क पट्टा कानूनन जारी नहीं किया जा सकता था, केवलमात्र कीमती जगह को हडपने की नियत से साजिश रचकर तत्कालीन सरपंच से मिलीभगत कर पट्टा जारी करवाया गया है अथवा फर्जी हस्ताक्षर कर पट्टा जारी करवाया गया है। पट्टा निरस्त करवाने के लिए पंचायत की मीटिंग दिनांक 05.03.2020 की नकल भी शामिल है। उपरोक्त पट्टा जारी करने से पूर्व ना तो गैर निगरानीकर्ता ने कोई प्रार्थना पत्र तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया, ना ही ऐसे किसी प्रार्थना पत्र पर पंचायत की कोई मीटिंग हुई ना ही प्रस्ताव पास किया, ना ही किसी कमेटी का गठन किया गया तथा ना ही कोई आपत्ति सूचना नोटिस बोर्ड पर अथवा ढोल मुनियादी आदि द्वारा लोगों को दी गई, ना ही अन्य कोई कानूनी प्रक्रिया अपनायी जाने के उपरान्त पुनः किसी पंचायत मीटिंग में प्रस्ताव पास किया गया कि किसी ने कोई आपत्ति पेश नहीं की है। इस प्रकार बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये ही समस्त कार्यवाही की गई है। निगरानीकर्ता इस गांव में ही निवास नहीं करता। इस प्रकार ना तो उसको कानूनन किसी भूखण्ड की आवश्यकता थी। पट्टा जो जारी किया गया कि शर्त संख्या 8 में यह स्पष्ट है कि जो पट्टा जारी किया गया है, उस स्थान पर दो वर्ष में मकान बनाना अनिवार्य होगा लेकिन 1989 से लेकर आज तक उपरोक्त जगह पर कोई मकान या झोपड़ा नहीं बनाया गया, ना ही



amp
जिला कलक्टर (प्रशासन)



ऑन लाईन नं. RCMS 2020/00030

गैर निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत को दो वर्ष की अवधि में निर्माण के लिए अवधि बढ़ाने के लिए अथवा पट्टा नवीनीकरण के लिए कोई आवेदन किया गया, ना ही ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण के लिए कोई अवधि बढ़ायी गई। पट्टा में दर्ज शर्त संख्या 7 में यह प्रावधान है कि ग्राम पंचायत को पट्टा शुदा भूखण्ड वापिस देने का अधिकार होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि तत्कालीन सरपंच ने दो साल में निर्माण कार्य ना होने पर जानबूझकर पट्टा को निरस्त नहीं किया जबकि निरस्त करना आवश्यक था क्योंकि पट्टा में यह भी स्पष्ट शर्त अंकित की गई है कि यदि भूमि का प्रार्थना पत्र झूठा विवरण दर्ज कर आवंटन करवाया गया है तो आवंटन निरस्त करवाया जा सकेगा। तत्कालीन सरपंच के हस्ताक्षरों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वह फर्जी प्रतीत होते हैं। श्रीमान न्यायालय को पट्टा की वैधता के बारे में सामोर्टिव अथवा किसी के प्रार्थना पत्र पर भी पंचायत रिकॉर्ड मंगवाकर पट्टा को निरस्त करने का अधिकार हासिल है। इस प्रकार पंचायत रिकॉर्ड मंगवाकर पट्टा को निरस्त किया जाना आवश्यक है क्योंकि गांव की कीमती जगह हड़पने की नियत से ही व पंचायत कोष को नुकसान पहुँचाने की नियत से ही निःशुल्क पट्टा जारी किया गया है जबकि सरपंच को किसी प्रकार से निःशुल्क पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं होता। लिहाजा निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगरानीकर्ता के हक में जारी किया हुआ उपरोक्त पट्टा निरस्त करने का आदेश फरमाया जावे।

निगरानी से संबंधित मूल रेकार्ड ग्राम पंचायत से तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि पट्टा संख्या 2446 दिनांक 17.08.1989 को जो जारी किया गया है वह गलत, खिलाफ कानून, खिलाफ वाक्यात होने से निरस्तनीय है। पट्टे के अनुसूचित जाति व जनजाति व श्रमिक तथा कारीगरों को आबादी में निःशुल्क आवासीय आवंटन भूखण्ड के रूप में जारी किये गये हैं जबकि गैर निगरानीकर्ता किसी प्रकार से अनुसूचित जाति जनजाति व श्रमिक तथा कारीगर की परिभाषा में नहीं आता है इसलिए निःशुल्क पट्टा कानूनन जारी नहीं किया जा सकता था, केवलमात्र कीमती जगह को हड़पने की नियत से साजिश रचकर तत्कालीन सरपंच से मिलीभगत कर पट्टा जारी करवाया गया है अथवा फर्जी हस्ताक्षर कर पट्टा जारी करवाया गया है। पट्टा जारी करने से पूर्व ना तो गैर निगरानीकर्ता ने कोई प्रार्थना पत्र तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया, ना ही ऐसे किसी प्रार्थना पत्र पर पंचायत की कोई मीटिंग हुई ना ही प्रस्ताव पास किया। निगरानीकर्ता इस गांव में ही निवास नहीं करता। इसलिए कानूनन उसको भूखण्ड की आवश्यकता नहीं थी। पट्टा की शर्त संख्या 8 में यह स्पष्ट है कि दो वर्ष में मकान बनाना अनिवार्य होगा लेकिन 1989 से लेकर आज तक उपरोक्त जगह पर कोई मकान या झोपड़ा नहीं बनाया गया, ना ही गैर निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत को दो वर्ष की अवधि में निर्माण के लिए अवधि बढ़ाने के लिए अथवा पट्टा नवीनीकरण के लिए कोई आवेदन किया गया, ना ही ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण के लिए कोई अवधि बढ़ायी गई। पट्टा में दर्ज शर्त संख्या 7 में यह प्रावधान है कि ग्राम पंचायत को पट्टा शुदा भूखण्ड वापिस देने का अधिकार होगा। तत्कालीन सरपंच ने दो साल में



amp
जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर



ऑन लाईन नं. RCMS 2020/00030

निर्माण कार्य ना होने पर जानबूझकर पट्टा को निरस्त नहीं किया जबकि निरस्त करना आवश्यक था क्योंकि पट्टा में यह भी स्पष्ट शर्त अंकित की गई है। तत्कालीन सरपंच के हस्ताक्षरों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वह फर्जी प्रतीत होते हैं। गैरनिगरानीकर्ता का वर्ष 1989 से आज दिनांक तक कोई कब्जा नहीं है मौके पर गांव के पशुओं के पानी पिने का जोहड़ बना हुआ है जहां पशु आकर पानी पिते हैं। गांव की कीमती जगह हड़पने की नियत से ही व पंचायत कोष को नुकसान पहुँचाने की नियत से ही निःशुल्क पट्टा जारी किया गया है जबकि सरपंच को किसी प्रकार से निःशुल्क पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं होता। लिहाजा निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगरानीकर्ता के हक में जारी किया हुआ उपरोक्त पट्टा निरस्त करने का आदेश फरमाया जावे।

गैरनिगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि पट्टा का नकल मैंने वर्तमान ग्राम विकास अधिकारी से जारी करवाकर प्राप्त की है। मेरा पट्टा नियमानुसार सही बना हुआ है। मेरे द्वारा ग्राम पंचायत को ऐसी कोई सहमति पेश नहीं की है कि मेरा पट्टा निरस्त कर दिया जावे। मेरा पट्टा वर्ष 1989 का बना हुआ है जो विधि सम्मत् एवं नियमानुसार जारी किया गया है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज फरमाई जाकर पट्टा 2446 दिनांक 17.08.1989 को बहाल रखा जावे।

तहसीलदार रिपोर्ट क्रमांक:-भू0अ0/3643 दिनांक 30.09.2020 अनुसार चक 4 ई छोटी की 200X80 वर्गगज का पट्टा संख्या 2446/17.08.1989 मुताबिक रिकॉर्ड जोहड़ पायतन के नाम भूमि नहीं है। मुरब्बा नम्बर 08/6.323 है0 व मुरब्बा नम्बर 9/6.323 हैक्टर कुल 12.646 हैक्टर गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। ग्राम पंचायत के पट्टा सम्बन्धी रिकॉर्ड तहसील कार्यालय में नहीं है जिससे यह पता नहीं चलता कि यह पट्टा किस स्थान/मुरब्बा/किला से सम्बन्धित है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उक्त विवादित स्थान जिसका पट्टा जारी किया गया है। पट्टा बुक अनुसार पट्टा संख्या 2446 दिनांक 17.08.1989 अन्तिम पट्टा जारी किया गया है। जिस पर हस्ताक्षर सरपंच पूर्व में जारी पट्टों से मिलते जुलते प्रतीत नहीं होते हैं। पट्टा वर्ष 1989 में जारी किया गया जिस पर गैरनिगरानीकर्ता द्वारा आज दिनांक तक निवास हेतु कोई निर्माण भी नहीं किया है ना ही अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत 2 एम.एल. में निवास के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश किया है जिससे यह माना जावे कि गैरनिगरानीकर्ता ग्राम पंचायत 2 एम.एल. का निवासी है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर पट्टा क्रमांक 2446 दिनांक 17.08.1989 निरस्त जाता है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भिजवाई जावे एवं रिकॉर्ड लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 23.10.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डा. गुंजन सोनी)
अति. जिला कलेक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर